

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषय: पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान


1. शंकर पिता जयकिशन जाति रेबारी निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ़।
2. सवाईशम पिता जयकिशन जाति रेबारी निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ़।

बनाम

1. सोदान पिता केसर जाति रेबारी निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ़।
2. बलु पिता दुदा जाति रेबारी निवासी जालम की झूपडिया तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम जालम की झूपडिया पटवार हल्का बीकरण की सरहद में स्थित खाता संख्या 149 की आराजी संख्या 115 कुल किता 1 रकबा 1.1898 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़